न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

फातूनी बनाम जन्नती

....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.1..2022	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.3.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी ख0न0 572 रकबा 4200 हे0 मे से 17/210 भाग, 573 रकबा 0.29 है0, 574 रकबा 0.16 हे0 किता 2 रकबा 0.45हे0 में से 1/5 भाग वाके ग्राम मांचा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे । क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उजर पेश करे। प्रार्थी इस अमर का रजि0 एडी0 से तलबाना पेश करे। आयान्दा दिनांक 14.3..22 को पेंश हो । उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर)	
14-3-22	वकील प्रार्थी उप0। रजिस्टर्ड तामील बिनाम 23-5-22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)	

26-5-23 वकील वादी। प्रार्थी ने अपना मूलवाद विड्रा कर लिया है। अतः प्रा० पत्र भी विड्रा किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)